नई औद्योगिक नीति को अन्तिम रूप देने हेतु उद्योग बन्धु औद्योगिक संगठनों से करेगा मंत्रणा

लखनऊ, 08 जून, 2012:
प्रस्तावित अवस्थापना, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2012 को तैयार करने के लिए इस आशय के लिए बनाई गयी स्टेयरिंग कमेटी के सदस्य सचिव श्री संजय प्रसाद, जो सचिव, औद्योगिक विकास भी हैं, उद्योग बन्धु कार्यालय में औद्योगिक तथा व्यवसायिक संगठनों से 11 जून से 13 जून, 2012, तीन दिन तक आमने–सामने बैठकर विचार–विमर्श करेंगे। ज्ञात हो कि नवीन औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट उद्योग बन्धु की वेबसाइट (http://www.udyogbandhu.com) पर गत् माह सभी स्टेकहोल्डरों के सुझावों को आमंत्रित करने के लिए अपलोड किया गया था। इसके बाद सभी व्यवसायिक संगठनों से कई अच्छे सुझाव प्राप्त भी हुए हैं जिन्हें संकलित कर लिया गया है।

विशेष सचिव, औद्योगिक विकास तथा उद्योग बन्धु के संयुक्त अधिशासी निदेशक श्री कौशल राज शर्मा ने बताया कि औद्योगिक संगठनों के साथ अपरान्ह में 3 दिन तक चलने वाले विचार–विमर्श के दौरान उक्त संगठन अपने सुझाव व टिप्पणियां हार्ड/साफ्ट कापी में दे सकते हैं जबकि व्याक्तिगत व्यवसायी या तो अपने संगठनों के माध्यम से या ई–मेल से अपने सुझाव उद्योग बन्धु को प्रेषित कर सकते हैं। औद्योगिक संगठनों के साथ नवीन औद्योगिक नीति के सृजन हेतु विचार–विमर्श की यह प्रक्रिया 13 जून को समाप्त हो जायेगी तदोपरान्त राजकीय विभागों द्वारा नीति को अन्तिम रूप देने का कार्य शुरू हो जायेगा जिससे अगस्त माह तक नयी नीति तैयार हो जाने की सम्भावना है।

श्री शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार सम्भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उत्कृष्ठ अवस्थापना सुविधाएं आवश्यक हैं। इसके लिए उच्च स्तर के निवेश तथा निपुणता की आवश्यकता है जोकि सार्वजनिक निजी सहभागिता से ही सम्भव है। अतः प्रदेश के समग्र विकास के लिए औद्योगिक संगठनों व निवेशकों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के सुझावों को प्रस्तावित नीति में सम्मिलित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावित नीति में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के साथ–साथ लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए भी प्राविधान किए जाने की सम्भावना है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर को 10 प्रतिशत तक पहुँचाने के उद्देश्य से तैयार की जा रही इस बहुप्रतिक्षित नीति में बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल में औद्योगिक व अवस्थापना विकास के लिए विशेष प्रविधान सम्भावित हैं।

———————